

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बलरामपुर, आजमगढ़, देवरिया, बिजनौर, अयोध्या, हापुड़, हाथरस व झांसी।

चिकित्सा अनुभाग-5


लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2020

विषय-नोवल कोरोना वायरस "कोविड-19" से बचाव हेतु जनपद न्यायालयों के परिसरों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से बचाव हेतु जनपद न्यायालयों के परिसरों की साफ-सफाई एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश संख्या-553/पॉच-5-2020 दिनांक 21.03.2020 द्वारा निर्गत किए गए हैं। कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार बलरामपुर, आजमगढ़, देवरिया, बिजनौर, अयोध्या, हापुड़, हाथरस एवं झांसी के जनपदीय न्यायालय के परिसरों में विशेष रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में विशेष रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
5. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०।
6. संबंधित जनपद के नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,



(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)

उप सचिव